(172)

S.D.Acad.
26/8/2021

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7) शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांकः 25.08.2021

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलपति, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः– कोविड–19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिनांक 1.9.2021 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु दिशा–निर्देश।
संदर्भः– गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 12.8.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के कम होते प्रभाव को मध्यनजर रखते हुए गृह विभाग ने संदर्भित दिशानिर्देश जारी कर 1.9.2021 से विभिन्न शर्तों के तहत शिक्षण संस्थान खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।

अतः गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कमांक प. 7 (1) गृह–7/2021, दिनांक 12.8.2021 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 1.9.2021 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की जावें।

इस हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें:–

1. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों, सभी कार्मिकों का अतिशीघ्र टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. विद्यार्थियों की परिसर में उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखी जावे। इस हेतु विद्यार्थियों को एक दिन छोड़कर (Alternate days) बुलवाया जावे।
3. परिसर में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्केनिंग सुनिश्चित की जावे।
4. Contact tracing को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावे।

(173)

5. भौतिक उपस्थिति वैकल्पिक होगी। विद्यार्थियों को अनुपस्थित मार्क नहीं किया जाए एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को बन्द रखा जावे ताकि संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहे।
6. ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन उन विद्यार्थियों के लिए किया जायेगा जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होना चाहते। ऑनलाइन क्लासेज को प्रोत्साहित किया जाये।
7. विद्यार्थियों को संस्थानों में मोबाईल फोन की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि कान्टेक्ट ट्रेसिंग में सहायक हो सके एवं राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग किया जा सके।
8. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाए कि वो अपने मोबाईल में राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें एवं एप पर अपनी स्थिति को अपडेट रखें।
9. इस बाबत विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य सभी निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न– गृह विभाग के दिशा–निर्देश।

भवदीय,

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. कुलसचिव, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांकः–एफ–7(4)अकाद/आकॉशि/प्रवेश नीति/2021–22/272 दिनांक :–26 अगस्त 2021

1– प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय को उक्त पत्र की प्रति पृष्ठांकित की जाकर, लेख है कि प्रदेश के राजकीय/निजी महाविद्यालयों में दिनांक 01 सितम्बर 2021 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ की जायेंगी । वर्तमान में महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है । इस दौरान परीक्षा दिवसों पर आवश्यकता होने पर शिक्षण कार्य स्थगित रखा जा सकता है। साथ ही इस कम में उपरोक्त शिक्षा (ग्रुप–4) के दिनांक 25 अगस्त 2021 के पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

2– इसी कम में प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) के पत्रांक प07(1)गृह–7/2021, जयपुर दिनांक 12 अगस्त 2021 **(संलग्न)** में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार ।

26-08-2021

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

<u>प्रतिलिपि पृष्ठांकित कर निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4), शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प03(7)शिक्षा–4/2014 पार्ट, दिनांक 25.08.2021 के कम में ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

26.08.21

(डॉ0 सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

SO(HE)

17.8.21

174

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक : प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांक : 12.08.2021

आदेश

विषय : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां हेतु दिशा–निर्देश।

मंत्रीमंडल सचिवालय के आदेश दिनांक 24.07.2021 द्वारा राज्य में शिक्षण संस्थानों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए दिनांक एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्णय हेतु मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है, जिसका नोडल विभाग गृह विभाग है। उक्त समिति द्वारा कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए शिक्षण संस्थानों को निम्नानुसार खोलने का निर्णय लिया गया है।

1. **राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा।**
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक **स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम–से–कम एक खुराक (1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।**
3. **प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1nd and 2nd dose) की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 01 सितम्बर 2021, बुधवार से बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे,** साथ ही संबंधित संस्थान द्वारा e-intimation के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में बैठक क्षमता (Seating capacity) एवं कुल स्टाफ/कार्मिकों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।
4. **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।**
5. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की **उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।**
6. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. **कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाईन माध्यम से संचालित रहेंगी।**

8. राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान) द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जायेगीः–

   a. **शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता–पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।**

   b. शिक्षण संस्थानों **द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।**

   c. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Entry"** की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी/स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

   d. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक **शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/विद्यार्थी की स्क्रीनिंग** की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।

   e. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान **परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी)** का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी/अभिभावक/कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान **परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।**

   f. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि **प्रतिदिन सेनेटाईज** किया जावे एवं **खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे** ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।

   g. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।

   h. सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।

   i. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को **10 दिनों के लिए बंद किया जायेगा।**

j. किसी विद्यार्थी/शिक्षकगण/कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जायेगी।

9. प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को खोले जाने के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त विद्यालय द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर/जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह(आपदा प्रबंधन)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4) /अकाद/आकाशि/ प्रवेश नीति/2021–22/184–190 दिनांकः 7.7.2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषयः–**सत्र 2021–22 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में।**

विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगाः–

क.सं.	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	08.07.2021 से 22.07.2021
2	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए ई–मित्र पर फीस जमा करवाना।	09.07.2021 से 31.07.2021
3	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में ऑनलाईन अध्यापन कार्य ।	10.07.2021 से प्रारम्भ

समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रकिया पूर्ण करनी होगी एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डेटा ई–मित्र पर पोस्ट किया जायेगा । विद्यार्थियों को ई–मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डेटा निर्धारित तिथि तक आवश्यक ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर ई–मित्र पर पोस्ट हो जाये । ई–मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्रों /इलेक्ट्रोनिक मीडिया/सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्यधीन रहेगा ।

विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम, विद्यार्थी के प्रवेश हेतु फीस जमा कराने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमा करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाये।

ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के कियान्वयन में होने वाली सम्भावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डॉ0 संदीप कुमार (9829066259) (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन)/श्री बनफूल अग्रवाल (0141–2706106) से कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर या ई मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रकिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये, समय–सारणी अनुसार प्रकिया सम्पन्न करावें। समस्त प्रवेश प्रकिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना पूर्णतः सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त ,सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिक विभाग को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही एवं ई–मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु । ।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021–22/पार्ट/234 दिनांकः 13 16 अगस्त, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया की तिथियां निम्नानुसार रहेगी –

ऑनलाईन प्रवेश कार्यकम (सत्र 2021–22) स्नातक पार्ट प्रथम

क.सं.	विवरण	वार व तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना – प्रारम्भ होने की तिथि	बुधवार 18.08.2021
2.	आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	मंगलवार 31.08.2021
3.	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 03.09.2021
4.	(अ) अन्तिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	सोमवार 06.09.2021 शनिवार 11.09.2021
5.	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	मंगलवार 14.09.2021
6.	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	शुक्रवार 17.09.2021
7.	महाविद्यालय में ऑनलाईन/ऑफ लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य	शनिवार 18.09. 2021

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाईन प्रवेश कार्यकम

क.सं.	विवरण	वार व तिथि
8.	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	बुधवार 15.09.2021
9.	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	मंगलवार 21.09.2021
10.	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार 22.09.2021
11.	(अ) रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरूवार 23.09.2021 सोमवार 27.09.2021
12.	प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	मंगलवार 28.09.2021
13.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	बुधवार 29.09.2021

कोविड–19 के मध्य नजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवायजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रकिया सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail Ph 0141-2706550

क्रमांकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/ 2021–22/449 दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिये स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के लिये ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया बाबत् ।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिये स्नातकोत्तर –पूर्वार्द्ध के लिये ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया निम्नानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें:–

शैक्षणिक सत्र 2021–22

ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम – स्नातकोत्तर – पूर्वार्द्ध

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना – प्रारम्भ होने की तिथि	बुधवार– 08 दिसम्बर, 2021
2	आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	शनिवार –18 दिसम्बर, 2021
3	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	मंगलवार– 21 दिसम्बर, 2021
4	अ)अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	बुधवार– 22 दिसम्बर, 2021
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अन्तिम तिथि	मंगलवार–28 दिसम्बर, 2021
	(स) अभ्यार्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	बुधवार – 29 दिसम्बर, 2021
5	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन ।	शुक्रवार–31 दिसम्बर, 2021
6	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	शनिवार– 1 जनवरी, 2022

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	शनिवार– 1 जनवरी, 2022
2	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार– 7 जनवरी, 2022
3	नवीन प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शनिवार– 8 जनवरी, 2022
4	(अ)आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों के लिये अंतरिम प्रवेश/प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन	मंगलवार–11जनवरी, 2022
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने एवं ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	शनिवार– 15 जनवरी, 2022
5	नव प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	मंगलवार– 18 जनवरी, 2022

कोविड़–19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवाईजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच प्रकिया सुनिश्चित करें।

(शुचि त्यागी)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021–22/449 दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(डॉ0सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)